

Original

रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, रांची
मदन प्लान वाद संख्या 1/92/09 की
स्वीकृति के क्रम में अनुज्ञापत्र

समाप्तपत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 2001 की धारा 37 एवं वर्तमान समय उपनिर्देश के अंतर्गत प्रस्तावित मदन प्लान / वर्तमान समय में परिवर्तन / परिवर्तन के तथ्यों में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति दी जाती है :-

- (1) नियमिit प्रारम्भ करने के क्रम में केवल 15 (पन्द्रह) दिनों के पहले विहित प्रपत्र में शर्तों को सूचित करेंगे।
 - (2) विधीय कार्य की समाप्ति पर प्राधिकार के संबंधित अधिकारी, वामपुंवार / सुपरवाईजर द्वारा विहित-प्रपत्र में प्रमाण-पत्र देने के बाद ही पर्यवेक्षण से कार्य किया गया है।
 - (3) रोड विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पट्टी / पट्टीयों को छोड़कर ही कांठरवीथरीका निर्माण करना होगा।
 - (4) स्वीकृत मदन प्लान में दर्शाई गयी रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी भूमि निरस्त सरकार / प्राधिकार को रोड विस्तार, विस्तार हेतु उपलब्ध कराएंगे।
 - (5) मदन प्लान की स्वीकृति प्राप्त होने के लिए बैंक रहेगी। उसके अंतर्गत निश्चयानुसार अनुज्ञापत्र का पुनर्निर्माण करना अनिवार्य होगा। यदि स्वीकृत मदन प्लान के विफलता मान्य नहीं होगी।
- नियम 37 की धारा 37 के अंतर्गत प्रपत्र में प्रमाण-पत्र देने के बाद ही पर्यवेक्षण से कार्य किया गया है।

(6) अन्य कोई शर्तें -

Aliy
27-08-09
नियम 37 की धारा 37 के अंतर्गत

समाप्तपत्र के कार्यानुसार

27/8/09
निगरीय पदाधिकारी
रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार
रांची
27/08/09